तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

प्रकरण पत्र 81/2022 Remo 2022/166 दायर होकर प्रस्तुत पाया

30/1/2023 वकील प्रार्थी उपस्थित। सरल आलम के आदेश नहीं मिलने का कथन। पत्रावली दिनांक 09/2/2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

9/2/2023 वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 तथा धारा 151 CPC का अवलोकन किया गया। वाद ता. 5/08 दायर होकर प्रतिवादी को प्रतिवेदन करके पक्षकार PO नामजद इन्तकाल स्तर पर विचाराधीन रहा। दिनांक 4.1.2018 की आदेशिका अनुसार वाद वापसी अदम पैरवी अस्थाई खारिज हुआ। प्रकरण में वापसी दायर की गई है - की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके उत्तराधिकारी। कानून मुताबिक संयुक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद की कार्यवाही को पुनः स्थापित करवाकर वाद की आगे की कार्यवाही में अपना पक्ष मजबूत रखना चाहते हैं तथा वाद का फैसला गुणावगुण आधार पर करवाना चाहते हैं जिससे प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रस्तुत नजीर इत्यादि का अवलोकन किया गया। पक्षकारान अप्रार्थीगण को तलब भी किया गया। लगातार सुनवाई उपस्थित रहे। नजीर इस प्रकार से पाया जाता है कि अप्रार्थीगण की तरफ से आपत्ति की प्रार्थीगण को न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण - पत्र प्रार्थीगण अधीन 9 नियम 4 तथा नियम 4 तथा धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व वाद 5/08 उनवान वापसी दायर प्रतिवेदन करके मे अदम पैरवी आदेश वापसी के दिनांक 04.01.2018 को की गयी खारिजी (अपील की कार्यवाही) को पुनः स्थापित कर वाद की प्रक्रिया पुनः [illegible] पत्रावली कानून मुताबिक [illegible] पक्ष रहे।

आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.07.24 15:51:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)